Seventeenth Loksabha

span>

16.00hrs

Title: Introduction and Passing of Appropriation (NO.4) Bill, 2022.

माननीय अध्यक्ष : आईटम नम्बर-23, माननीय वित्त मंत्री जी ।

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2020, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित कीजिए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce* the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आईटम नम्बर-24, माननीय वित्त मंत्री जी ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2020, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

<u>खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

<u>अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>